कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 42/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 30.01.2026

प्रेस नोट

थाना– पवई, जनपद– आजमगढ़

पीड़िता के जान से मारने की नीयत से सिर पर लोहे की रॉड से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक **29.01.2026** को वादी **केशरी गुप्ता पुत्र हरिपाल गुप्ता**, निवासी ग्राम सौदमा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी घायल पुत्री के साथ थाना पवई पर उपस्थित होकर एक लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे वादी की पुत्री के सिर में गंभीर चोट आई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर **मु0अ0सं0 17/2026**, धारा **109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- **30.01.2026** को उ0नि0 **लाल बहादुर बिन्द** मय हमराह का0 **केशव राम पाल** द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **हरिसेन यादव उर्फ पेशकार यादव पुत्र स्व0 हरिदास यादव**, निवासी ग्राम सौदमा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को **मिल्कीपुर अंडरपास** से समय करीब **11:05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

नाम – हरिसेन यादव उर्फ पेशकार यादव पिता – स्व0 हरिदास यादव निवासी – ग्राम सौदमा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 **17/2026**, धारा **109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस** थाना पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द

का0 केशव राम पाल थाना पवई, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 30.01.2026

थाना– सिधारी, जनपद– आजमगढ़

एक नाजायज चाकू एवं एक अदद फर्जी मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक **29.01.2026** को उ0नि0 **धर्मेन्द्र कुमार सिंह** मय हमराह उ0नि0 **पवन पाण्डेय**, हे0का0 **धर्मराज भारती**, हे0का0 **संतोष राम**, का0 **हेमन्त वर्मा** एवं का0 **मृत्युजय मिश्रा** द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, देखभाल एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान एक अभियुक्त को **ईटौरा** स्थान से (थाना सिधारी से लगभग 08 किमी दक्षिण-पूर्व) समय करीब **22:30 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद नाजायज चाकू** एवं **एक अदद फर्जी मोटरसाइकिल** बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर **मु0अ0सं0 033/2026**, धारा **4/25 आर्म्स एक्ट एवं 340(2), 318(4) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 **033/2026** धारा **4/25 आर्म्स एक्ट एवं 340(2), 318(4) बीएनएस** थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 **033/2026**, धारा **4/25 आर्म्स एक्ट एवं 340(2), 318(4) बीएनएस**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

नाम – समर्थ राय उर्फ अर्पित राय पिता – सुनील राय निवासी – ग्राम सोहोली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

उम्र – लगभग 19 वर्ष

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज चाकू
2. एक अदद फर्जी मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 पवन पाण्डेय
3. हे0का0 धर्मराज भारती
4. हे0का0 संतोष राम
5. का0 हेमन्त वर्मा, का0 मृत्युजय मिश्रा थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 30.01.2026

थाना–सिधारी, जनपद– आजमगढ़

वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी 84 बीएनएसएस की उद्घोषणा की कार्यवाही

थाना कोतवाली पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 208/2025**, धारा **69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस** में वांछित चल रहे अभियुक्त **अंगुर पुत्र लालचन्द्र**, निवासी **नरवा नरौली**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध माननीय न्यायालय से जारी **धारा 84 बीएनएसएस** के प्रासेस की तामील आज दिनांक **30.01.2026** को की गई।

उक्त उद्घोषणा की कार्यवाही उ0नि0 **राजकुमार** एवं उ0नि0 **कृष्णानन्द प्रसाद** मय महिला कां0 **आरती शुक्ला** द्वारा नियमानुसार की गई। कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के आवास के मुख्य द्वार पर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उद्घोषणा चस्पा की गई एवं मोहल्ले में मुनादी कराई गई। उक्त कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संपन्न कराई गई।

पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– अहरौला, जनपद– आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अहरौला पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 341/2025**, धारा **137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट** में वांछित चल रहे अभियुक्त **आकाश पुत्र रामदवर उर्फ रामअवतार**, निवासी ग्राम कोठा (मु0) सकरकोला, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को दिनांक **30.01.2026** को समय करीब **11:00 बजे** पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

उक्त मुकदमा दिनांक **20.09.2025** को किशोरी (उम्र लगभग 17 वर्ष) को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोप में पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर धारा **64(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त का पूर्व से भी पाक्सो एक्ट से संबंधित आपराधिक इतिहास पाया गया है।
दिनांक **30.01.2026** को व0उ0नि0 **रविन्द्र नाथ पाण्डेय** मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त को **बरसातीगंज पुल/कोतवालीपुर तिहारा क्षेत्र** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 **341/2025**, धारा **137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट** थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

नाम – आकाश पुत्र रामदवर उर्फ रामअवतार, निवासी – ग्राम कोठा (मु0) सकरकोला, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 341/2025 – धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट
2. मु0अ0सं0 114/2023 – धारा 323, 354 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट
   थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

व0उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय

हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर हे0का0 सर्वेश यादव थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, **दिनांक: 30.01.2026**

थाना– मुबारकपुर, जनपद– आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 37/2026**, धारा **2(ख)(एक)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986** में वांछित अभियुक्त **अलकमा उर्फ जुनैद पुत्र कमर उर्फ शफी अहमद**, निवासी **पठानटोला, थाना कोतवाली, जनपद मऊ** को दिनांक **29.01.2026** को समय करीब **23:15 बजे** गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त एक संगठित आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने गैंग लीडर व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर **दुधारू पशुओं की चोरी कर वध हेतु विक्रय** जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। गिरोह की गतिविधियाँ जनपद स्तर पर पाई गई हैं, जिससे जनसामान्य में भय एवं दहशत का माहौल बना हुआ था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी **व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव** मय हमराह पुलिस टीम द्वारा **ग्राम पठानटोला, थाना कोतवाली, जनपद मऊ** स्थित उसके आवास से मुखबिर खास की सूचना पर की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 **37/2026** धारा **2(ख)(एक)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट** थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नाम – अलकमा उर्फ जुनैद पिता – कमर उर्फ शफी अहमद निवासी – पठानटोला, थाना कोतवाली, जनपद मऊ

उम्र – लगभग 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	14/2024	379/411 भादवि	कंधरापुर	आजमगढ़
2	59/2024	379/411 भादवि	कंधरापुर	आजमगढ़
3	91/2024	379/411 भादवि	कंधरापुर	आजमगढ़
4	387/2024	305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस	देवगाँव	आजमगढ़
5	538/2024	303(2)/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़
6	515/2024	303(2)/317(2) बीएनएस	निजामाबाद	आजमगढ़
7	373/2024	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	बिलरियागंज	आजमगढ़
8	428/2024	303(2)/317(2) बीएनएस	महाराजगंज	आजमगढ़
9	422/2024	305/317(2) बीएनएस	सिधारी	आजमगढ़
10	487/2024	303(2)/317(2) बीएनएस	जीयनपुर	आजमगढ़
11	418/2024	111/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मुबारकपुर	आजमगढ़
12	446/2024	111/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मुबारकपुर	आजमगढ़
13	395/2024	111/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	जहानागंज	आजमगढ़
14	428/2024	111/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	जहानागंज	आजमगढ़
15	551/2024	111/305/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	जहानागंज	आजमगढ़
16	278/2024	379/411 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
17	284/2024	34/379/411 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

व0उ0नि0 **वीरेन्द्र यादव**

मय हमराह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना– मेंहनगर, जनपद– आजमगढ़

डायल 112 पर धर्म परिवर्तन की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

डायल 112 पर प्राप्त इवेंट के माध्यम से यह सूचना दी गई कि *आशा एवं सरोज नामक महिलाएँ एक महिला का दुसरे धर्म में परिवर्तन करा रही हैं*। उक्त सूचना देने वाला कॉलर **पिन्टू सरोज पुत्र फूलबदन**, निवासी ग्राम भदसारी, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ पाया गया।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच की गई, जिसमें सूचना **पूर्णतः झूठी एवं भ्रामक** पाई गई।

गिरफ्तारी का विवरण–
दिनांक **30.01.2026** को उ0नि0 **राम गोपाल त्यागी** एवं हे0का0 **अनिल कुमार** द्वारा की गई जांच के उपरान्त झूठी सूचना देने के आरोप में कॉलर **पिन्टू सरोज पुत्र फूलबदन**, निवासी ग्राम भदसारी, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
नाम – पिन्टू सरोज, पिता – फूलबदन, निवासी – ग्राम भदसारी, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
उ0नि0 राम गोपाल त्यागी
हे0का0 अनिल कुमार थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि **डायल 112 अथवा किसी भी आपातकालीन सेवा पर झूठी, भ्रामक अथवा अफवाहजनक सूचना देना दंडनीय अपराध है**। ऐसी सूचनाओं से पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग होता है तथा वास्तविक आपात स्थिति में सहायता में विलंब हो सकता है।
झूठी सूचना देने वालों के विरुद्ध **कठोर वैधानिक कार्यवाही** की जाएगी।

जनहित में सहयोग करें, **केवल सत्य एवं प्रमाणिक सूचना ही दें।**

प्रेस नोट

दिनांक: 30.01.2026

जनपद– आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित, एक परिवार में कराया गया सफल समझौता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं **अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन** के पर्यवेक्षण में, **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत दिनांक **28.01.2026** को थाना **कोतवाली**, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान कुल **05 पत्रावलियों** में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से मीडिएशन हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें **03 प्रकरणों** में दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई। **अथक प्रयासों के फलस्वरूप 01 प्रकरण में सफलतापूर्वक समझौता कराया गया**, जिसमें पति द्वारा कम दान-दहेज के कारण मारपीट एवं घर से निकालने का आरोप अंकित था। शेष **02 पत्रावलियों** को अन्य कारणों से बंद किया गया।

नई किरण परियोजना के माध्यम से पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर बिखरते परिवारों को पुनः एक सूत्र में बाँधने का सतत प्रयास किया जा रहा है, जिससे **माननीय पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार में भी कमी** आएगी।

<u>कुल समझौते –01</u>

1.सुमन सिंह पत्नी अजय कुमार सिंह, ग्राम- कनेरी, थाना-सादात, जनपद-गाजीपुर।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 30.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा **अवैध शस्त्र रखने के आरोप मे 04 माह के साधारण कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को 04 माह के साधारण कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 14.10.2025 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री विनय सहाय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त **अजय जयसवाल पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी टेढ़िया मश्जिद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-526/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 30.01.2026 को मा0 न्यायालय CJM कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **अजय जयसवाल पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी टेढ़िया मश्जिद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 04 माह के साधारण कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**
थाना देवगांव में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 20.10.2025 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामजीर यादव थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त विनय कुमार सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह निवासी रीठी थाना सिकरारा जनपद जौनपुर के कब्जे से 1 अदद अबैध तमन्चा व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0-320/2003 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 30.01.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विनय कुमार सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह निवासी रीठी थाना सिकरारा जनपद जौनपुर **को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।